BCCI BULLETIN

Vol. 54 | SEPTEMBER 2023 | No. 9

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर की 96वीं वार्षिक आम सभा सम्पन्न

आम सभा की अध्यक्षता करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कार्यकारी सचिव श्री सुरेश राम। दाँयीं ओर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की 96वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 30 सितम्बर 2023 को चैम्बर के साहू जैन हॉल में सम्पन्न हुई। आम सभा की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने की एवं सत्र 2022-23 का लेखा-जोखा एवं चैम्बर की गतिविधियों से सदस्यों को अवगत कराया जिसका आम सभा ने सर्व सम्मति से अनुमोदन किया ।

आम सभा में विधिवत सत्र 2023-24 के लिए श्री सुभाष कुमार पटवारी, अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप कुमार, उपाध्यक्ष, श्री सुबोध कुमार जैन कोषाध्यक्ष एवं श्री पशुपति नाथ पाण्डेय महामंत्री निर्वाचित हुए।

वार्षिक आम सभा ने निम्नलिखित सदस्यों को चैम्बर का सत्र 2023-2024 के लिए कार्यकारिणी समिति का सदस्य निर्वाचित किया – अमर कुमार अग्रवाल, अनिल कुमार माहेश्वरी, आशीष प्रसाद, मो. बहजाद करीम, गोपाल कृष्ण, हरीश राज, मुकेश कुमार, नवीन कुमार गुप्ता, पवन कुमार भगत, प्रदीप जैन, राजेश जैन, राकेश कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार अग्रवाल, संजय कुमार बैद, संतोष कुमार अग्रवाल, शशि गोयल, स्वदेश कुमार, रवि कुमार गुप्ता, विष्णु कुमार सुरेका, राजेश सिकारिया एवं अखिलेश्वर सिंह।

चैम्बर के नव निर्वाचित पदाधिकारीगण

ई. सुभाष कुमार पटवारी
अध्यक्ष

श्री आशीष शंकर
उपाध्यक्ष

श्री प्रदीप कुमार
उपाध्यक्ष

श्री पशुपति नाथ पाण्डेय
महामंत्री

श्री सुबोध कुमार जैन
कोषाध्यक्ष

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल ने नव निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत् किया।

श्री सुभाष कुमार पटवारी, नव निर्वाचित अध्यक्ष ने उन्हें अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने के लिए माननीय सदस्यों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सदस्यों के सहयोग एवं समर्थन की उन्हें सदैव अपेक्षा रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चैम्बर के सभी सदस्यों की एकजुटता के साथ राज्य में औद्योगीकरण के लिए सरकार के साथ बैठक करके, जिनकी भूमि रद्द हो रही है, उन्हें जुर्माना काटकर शेष राशि संबंधित व्यवसायी को लौटाने के लिए सरकार से वार्ता करेंगे।

आम सभा के पश्चात चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी को

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

यह बुलेटीन आपके हाथ में जब तक पहुँचेगी तब तक चैम्बर के नये पदाधिकारियों ने अपना पदभार संभाल लिया होगा। नये पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभ कामनाएं।

अपने कार्यकाल में मैंने सदैव चैम्बर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, चैम्बर के हित में कार्य किया। आगे भी चैम्बर को सहयोग हेतु तत्पर रहूँगा। नये पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों से अपेक्षा है कि चैम्बर के जो भी कार्य अधूरे रह गये हैं, उन्हें साकार करने का पूर्ण प्रयास करेंगे।

खुशी की बात है कि राजधानी पटना में जल्द ही जीएसटी ट्रिब्युनल शुरू हो जायेगा। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है। ट्रिब्युनल की स्थापना से जीएसटी कार्रवाई के बाद पहली अपील में कमिश्नर के फैसले से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में कारोबारी ट्रिब्युनल में अपील कर सकेंगे। जबकि ट्रिब्युनल नहीं होने की स्थिति में मामला हाईकोर्ट में चला जाता था। **जीएसटी अपीलेट ट्रिब्युनल की स्थापना से कारोबारियों, टैक्सपेयर्स एवं कम्पनियों को काफी सुविधा होगी।**

रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट, रिफण्ड, इ–वे बिल, आइटीसी से संबंधित मामले का कम समय में निपटारा होगा। चैम्बर पिछले छह सालों से ट्रिब्युनल के गठन का इन्तजार कर रहा था। अब इन्तजार समाप्त हो गया है।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौंड्रिक जी ने सभी बैंकर्स व सम्बद्ध पदाधिकारियों को उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने PMFME, PMEGP, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, MSME, जेड सर्टिफिकेशन, बुनकर मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य के विरूद्ध समीक्षा में बैंकों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए इसमें सुधार लाने को कहा है। साथ ही, कहा कि बैंकर्स इसे प्राथमिकता देते हुए लंबित आवेदनों को शीघ्र विधिवत निष्पादित करें, अन्यथा खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकर्स के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज बिहार के उद्योगों के प्रति बैंकों के रवैये की बात करता रहा है और सरकार के संज्ञान में भी लाता रहा है।

लाजिस्टिक कम्पनियों को राज्य सरकार खगड़िया व मधेपुरा में जमीन उपलब्ध करा सकती है। हाल ही में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन कर यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार बियाडा के माध्यम से लाजिस्टिक व आईडटी क्षेत्र में काम कर रही कम्पनियों को जमीन उपलब्ध करायेगी। खगड़िया में बियाडा को 100 एकड़ तथा मधेपुरा में 146 एकड़ जमीन देने की मंजूरी अभी हाल ही में राज्य कैबिनेट से मिली है। **ऐसा होने पर लाजिस्टिक एवं आईटी क्षेत्र के निवेशक यहाँ अपना कारोबार शुरू करेंगे। इससे राज्य में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।**

राज्य में चलने वाले वाहनों में स्पीड मीटर चालू नहीं रहने पर 2000/– रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। प्रथम फेज में व्यावसायिक वाहनों पर जुर्माना लगेगा। वहीं दिसम्बर 2023 से निजी वाहनों पर भी परिवहन विभाग के एम.वी.आई. जुर्माना लगायेंगे। गाड़ियों को ओभर स्पीड में चलाने से सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

1 अक्टूबर, 2023 से कई तरह के बदलाव लागू होने वाले हैं, यथा –

– जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम एक अक्टूबर, 2023 से लागू हो जायेगा। इसके तहत सरकार डिजिटल जन्म प्रमाण–पत्र जारी करेगी, जिसके बाद कई दस्तावेज रखने की जरूरत खत्म हो जायेगी। शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राईविंग लाइसेंस जारी करने में आधार संख्या, विवाह के पंजीकरण या नियुक्ति हेतु जन्म प्रमाण पत्र जमा किया जा सकेगा।

– विदेश यात्रा एक अक्टूबर, 2023 से मंहगी होने जा रही है। सरकार 5 से 20 प्रतिशत तक TCS का नया नियम लागू करने जा रही है। यह न केवल विदेश यात्राओं पर लागू होगा, बल्कि दूसरे देश में किये गये लेन–देन पर भी लागू होगा। विदेश टूर पैकेज खरीदने या विदेश में क्रेडिट या डेविट कार्ड से सालाना सात लाख रूपये से ज्यादा खर्च करने पर 20 प्रतिशत TCS देना पड़ेगा ।

– पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे PPF, सुकन्या समृद्धि योजना आदि योजनाओं को आधार एवं पैन से 30 सितम्बर 2023 लिंक कराना होगा। डाकघर में उपर्युक्त योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को अधार एवं पैन की कॉपी को जमा कराना होगा। नही तो उनका निवेश एक अक्टूबर से फ्रिज हो सकता है। ट्रांजेक्शन नही कर पायेंगे।

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18 सितम्बर, 2023 को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद की बैठक नियोजन भवन स्थित प्रतिबिम्ब सभागार में हुई थी जिसमें चैम्बर की ओर से संयोजक श्री सुधि रंजन सम्मिलित हुए थे। इस बार 2 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है जो दिनांक 01.10.2023 से प्रभावी होगा। अभी गजट का प्रकाशन नहीं हुआ है परन्तु ऐसी संभावना है कि इसकी दरें निम्नांकित होगी :–

क्रमांक	कामगारों की कोटि	वर्त्तमान दरें	01.10.2023 से प्रभावी दरें
1.	अकुशल (Unskilled)	388.00/– प्रति दिन	395.00/– प्रति दिन
2.	अर्द्धकुशल (Semiskilled)	403.00/– प्रति दिन	411.00/– प्रति दिन
3.	कुशल (Skilled)	491.00/– प्रति दिन	500.00/– प्रति दिन
4.	अतिकुशल (Highly Skilled)	600.00/– प्रति दिन	611.00/– प्रति दिन
5.	Supervisory / Clerical	11,107.00/– प्रति माह	11,317.00/– प्रति माह

आप सभी को दुर्गापूजा एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

सादर,

आपका

पी. के. अग्रवाल

नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के साथ निवर्तमान पदाधिकारीगण।

Life Time Achievment Award से सम्मानित किया गया।

श्री पी. के. अग्रवाल ने श्री मुखर्जी का सम्मान करते हुए कहा कि मुखर्जी साहब काफी दिनों से बीमार हैं। इसके बावजूद ये चैम्बर के कार्यों का निष्पादन करते रहे। चैम्बर द्वारा प्रकाशित "HAND BOOK" में श्री मुखर्जी साहब का काफी योगदान रहा है। तत्पश्चात् श्री अमित मुखर्जी ने HAND BOOK का विमोचन किया।

श्री अमित मुखर्जी को माला पहनाकर सम्मानित करते चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, निर्वाचित अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं निर्वाचित उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार।

श्री अमित मुखर्जी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड हेतु चैम्बर का प्रतीक चिह्न भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, निर्वाचित अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, निर्वाचित उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार, निर्वाचित महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

चैम्बर द्वारा प्रकाशित 'हैण्ड बुक' का विमोचन करते श्री अमित मुखर्जी। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण।

श्री पी. के. अग्रवाल निवर्तमान अध्यक्ष को उनके समर्पित एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए चैम्बर का प्रतीक चिह्न भेंटकर सम्मामित करते अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

श्री एन. के. ठाकुर निवर्तमान उपाध्यक्ष को उनके समर्पित एवं उत्कृष्ट कार्यों हेतु चैम्बर का प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मनित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार।

श्री मुकेश कुमार जैन, निवर्त्तमान उपाध्यक्ष को उनके समर्पित एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए चैम्बर का प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मनित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

श्री विशाल टेकरीवाल, निवर्त्तमान कोषाध्यक्ष को उनके समर्पित एवं उत्कृष्ट कार्यों हेतु चैम्बर का प्रतीक चिह्न मेंट कर सम्मानित करते चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन।

हॉल में उपस्थित चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण

लंच में शामिल सम्मानित सदस्यगण

बियाडा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं पी.सी.सी. की बैठक में चैम्बर के प्रतिनिधि शामिल हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के निदेशक पर्षद (Board of Directors) एवं परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 2023 को श्री संदीप पौंडरिक, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई। उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के संयोजक-सह-निर्वाचित अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी सम्मिलित हुए।

स्वर्णकारों के लिए बनेगा अलग कलस्टर : मंत्री

ज्वेलरी महोत्सव में देशभर के स्वर्णकारों ने स्टाल लगाकर उत्पाद किए प्रदर्शित

उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दिनांक 5.9.2023 को कहा कि बिहार सरकार पटना जिले के खुसरूपुर के पास जमीन लेकर नए स्वर्णकार कलस्टर का निर्माण कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार स्वर्णकार समाज को सुरक्षा व सुविधा दोनों देने को तैयार है, बशर्ते बाहर के व्यापारी यहाँ अपना उद्योग लगाएँ।

मंत्री स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान (एसएसवीएएसएस) की ओर से होटल पाटलिपुत्रा एक्जाटिका में आयोजित तीन दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी सह ज्वेलरी महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार की उद्योग नीति उद्यमियों के हित में है। बिहार देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला राज्य है, यहाँ देश के 40 प्रतिशत उत्पाद की बिक्री होती है। उन्होंने कहा कि ज्वेलरी महोत्सव के आयोजन से प्रदेश के लगभग 50 हजार आभूषण विक्रेताओं को नई तकनीक के विषय में जानकारी मिली है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 6.9.2023)

समस्तीपुर में सीमेंट, फतुहा में लगेज आयटम की लगेगी यूनिट

299 करोड़ से अधिक के 23 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी

• 86.44 करोड़ का वित्तीय क्लियरेंस मिला सीमेंट यूनिट लगाने के लिए • 20 करोड़ खर्च होंगे पटना जिले के फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में लगेज आयटम की यूनिट में

मुजफ्फरपुर में मिल्क प्रोसेसिंग, पटना के फतुहा में लगेज आयटम और भोजपुर में रसोई गैस सिलिंडर बनाने की यूनिट लगायी जायेगी। कुल 299 करोड़ रुपये के निवेश के राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद ने 23 प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दिया है। इसके अलावा दो करोड़ से कम के 16 प्रस्तावों को भी वित्तीय क्लियरेंस मिला है। इन प्रस्तावों के जरिये राज्य में 15 करोड़ से अधिक के निवेश होने की संभावना है। वित्तीय क्लियरेंस पाने वाली यूनिट में सबसे अहम समस्तीपुर की सीमेंट यूनिट है। इसमें करीब 86.44 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। मुजफ्फरपुर में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। इसमें 25.59 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। पटना जिले के फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में लगेज आयटम बनाने वाली यूनिट में 20 करोड़ से अधिक के, भोजपुर में एलपीजी सिलिंडर बनाने वाले यूनिट में 16.70 करोड़ और पटना के बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में 16 करोड़ से अधिक के निवेश से टीएमटी बार की यूनिट स्थापित की जानी है।

लेदर और टेक्सटाइल की यूनिट लगेगी : मुजफ्फरपुर के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में लेदर एवं टेक्सटाइल की यूनिट को वित्तीय क्लियरेंस दिया गया है। इस यूनिट में 12.66 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाना है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के बेला ओद्योगिक क्षेत्र में 12 करोड़ की फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मधुबनी की फूड प्रोसेसिंग यूनिट को वित्तीय क्लियरेंस दिया गया है। मधुबनी की फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्रोसेस्ड मखाना यूनिट स्थापित होगी। इस यूनिट में शुरुआती दौर में पाँच करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित किया गया है।

बिहार में चाय की फैक्ट्री लगायेंगी बड़ी कंपनियाँ : किशनगंज में बड़े पैमाने पर चाय की खेती हो रही है, पर यहाँ इसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है। यहाँ उत्पादित चायपत्ती बंगाल भेज दी जाती है। बंगाल में ही कंपनियाँ इसकी प्रोसेसिंग करती हैं। यहाँ उत्पादित चायपत्तियाँ बिहार में ही प्रोसेसिंग हो व इसकी कंपनी भी बिहार में ही लगे, इसके लिए कृषि विभाग की ओर से पहल की गयी है। विभाग की इस पहल पर टी-बोर्ड ने सकारात्मक रूख दिखाया है। टी-बोर्ड ने किशनगंज में चाय की कंपनी खोलने को हर लिहाज से मुफीद बताया है। चाय कंपनी के लिए तीन मागें रखी गयी है। चाय कंपनी के लिए अलग से इंडस्ट्रियल फीडर के माध्यम से बिजली दिलाने की मांग की गयी है। इस पर कृषि विभाग ने विद्युत विभाग के एमडी को पत्र लिखकर अलग से बिजली उपलब्ध कराने की बात कही है। सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है। चाय उत्पादन में बिहार का देश भर में पाँचवाँ स्थान है। बगान से चायपत्ती टूटने के बाद इसे प्रोसेसिंग के लिए शीघ्र भेजना पड़ता है। शीघ्र भेजे जाने पर चाय की गुणवता बरकरार रहती है।

(साभार : प्रभात खबर, 5.9.2023)

शुल्क देकर बंद व रद्द औद्योगिक यूनिट की जा सकेंगी हस्तांतरित

बंद और रद्द की गयी औद्योगिक यूनिटों को एक विशेष शुल्क देकर दूसरे उद्यमियों को हस्तांतरित किया जा सकेगा। बियाडा इसके लिए वन टाइम ऑपरच्युनिटी पॉलिसी लेकर आया है। यह पॉलिसी प्रभावी हो गयी है। इसके तहत आवेदन 30 अक्टूबर तक किये जा सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यूनिट के हस्तांतरित करने की घोषित नीति के मुताबिक यूनिट लेने वाली फर्म अथवा कंपनी को शपथ पत्र देकर यह सुनिश्चित करना होगा कि छह माह के अंदर उस यूनिट से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया जायेगा। नयी मशीन लगाकर कोई नया उत्पाद बनाने की शुरुआत करने की समय सीमा एक साल रहेगी। उच्च न्यायालय की तरफ से विभिन्न वादों में पारित आदेश के

पूर्व रेलवे ZRUCC की 126वीं बैठक में चैम्बर के सदस्य शामिल हुए

पूर्व रेलवे के क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदातृ समिति (ZRUCC) की 126वीं बैठक 13 सितम्बर, 2023 को कोलकाता में आयोजित हुई।

इस बैठक में चैम्बर के ZRUCC, पूर्व रेलवे के नामित सदस्य श्री अजय कुमार शामिल हुए एवं बैठक को संबोधित भी किया।

अनुरूप यह अंडरटेकिंग भी देना होगा कि समयावधि के अंदर अगर उत्पादन शुरू नहीं किया तो उन इकाइयों का रद्दीकरण आदेश पुनः प्रभावी मान लिया जायेगा। साथ ही जमीन का कब्जा स्वतः बियाड़ा के पास आ जायेगा। संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि मूल्य के 10 प्रतिशत की बैंक गारंटी देनी होगी।

(साभार : प्रभात खबर, 12.9.2023)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेशकों का रुझान बढ़ा

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेशकों का रुझान बरकरार है। सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में निवेश हो रहे हैं। पीएमएफएमई के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल की बराबरी पाँच महीने में ही कर ली है। एसआईपीबी में भी इस क्षेत्र में नए प्रस्ताव खूब आ रहे हैं।

आंकड़ों को देखें तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के तहत पिछले वर्ष बिहार में 2874 लाभुकों को लोन मिला था। इस वित्तीय वर्ष के पाँच महीने में ही यह आंकड़ा पार कर गया है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक के अनुसार इस वर्ष दस हजार से अधिक लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में आए प्रस्तावों में भी यही रुझान दिख रहा है। दो करोड़ रुपये से कम लागत के पहले चरण के क्लीयरेंस के लिए आए कुल 48 प्रस्तावों में से 20 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के ही हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान , 6.9.2023)**

सिर्फ 3200 आरा मिल और 450 कंपोजिट यूनिट को मिलेगा लाइसेंस

राज्य में आरा मिल और कंपोजिट यूनिट की संख्या सीमित कर दी गयी है। साथ ही इनकी निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसका मकसद राज्य में पेड़-पौधों की अवैध कटाई रोकना है। कंपोजिट यूनिट में केवल विनियर मिल या विनियर मिल के साथ आरा मिल या प्लाइवुड पेस्टिंग शामिल हैं। नयी व्यवस्था के तहत अब राज्य भर में केवल 3200 आरा मिल और 450 विनियर मिल चलाने के लिए लाइसेस दिये जायेंगे। यह निर्णय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने लिया है। साथ ही लाइसेंस देने के लिए पाँच सदस्यीय कमेटी बनायी गयी है। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास होंगे। साथ ही क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक पटना, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक मुजफ्फरपुर, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक भागलपुर इसके सदस्य होंगे। सदस्य सचिव की जिम्मेदारी परिस्थितिकी एवं पर्यावरण निदेशक पटना को दी गयी है।

सूत्रों के अनुसार अब आरा मिल और कंपोजिट यूनिट लगाने के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को यह बताना होगा कि इसके लिए वे लकड़ी कहाँ से लायेंगे। इसके साथ ही आवेदन में अन्य तथ्यों की सुनवाई के लिए बनी पाँच सदस्यों की समिति आवेदन पर सुनवाई और जाँच-परख के बाद वरीयता सूची बनाकर लाइसेंस निर्गत करेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 1.9.2023)**

बैंकों को भेजे 13115 आवेदनों में से 1144 को ही लोन

प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमइ) योजना में चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही पूरा होने में केवल एक माह बाकी है। इस योजना में लोन वितरण की गति अपेक्षाकृत धीमी है। हालांकि उद्योग विभाग ने लक्ष्य से कहीं अधिक आवेदनों को अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है, लेकिन बैंकों ने राज्य में औसतन 23 फीसदी के आसपास लोन मंजूर किये हैं। लोन मंजूरी और वितरण में तेजी लाने के लिए उद्योग विभाग ने बैंकों को आधिकारिक तौर पर आग्रह किया है। हालांकि अब तक का लोन मंजूरी का राष्ट्रीय औसत बिहार से काफी कम 12 फीसदी के आसपास है।

10 जिलों में लोन वितरण की स्थिति संतोषजनक : आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य 12 बैंको को पीएमएफएमइ योजना के तहत 8786 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। उद्योग विभाग ने बैंकों को इस लक्ष्य से कहीं अधिक 13115 आवेदन भेजे है। इनमें से बैंकों ने 1983 आवेदनों में लोन मंजूर किये हैं। हालांकि लोन का वितरण 1144 आवेदकों को ही हो सका है। हालांकि लोन वितरण की दर और भी कम है। लोन वितरण की गति में देरी की सबसे प्रमुख वजहों में इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं की प्रक्रिया जटिल होना है।

राज्य के 10 जिलों में पीएमएफएमइ योजना में लोन वितरण की स्थिति संतोषजनक है। इनमें नवादा में 49 प्रतिशत, सीवान में 48, गोपालगंज और रोहतास में 32-32, शिवहर में 31, शेखपुरा में 29, समस्तीपुर में 28, बांका और खगड़िया में 26-26 एवं बक्सर में 25 फीसदी लोन केसों को मजूरी दी जा चुकी है। इनके अलावा लखीसराय, कैमूर, पूर्णिया, पटना, भोजपुर, जमुई, भागलपुर, अररिया, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर ऐसे जिले हैं, जहाँ बैकों ने कुल भेजे गये आवेदनों में केवल 10-15 फीसदी केसों में ही लोन बांटे हैं।

पीएमएफएमइ योजना क्या है : इस योजना को आत्म निर्भर अभियान के तहत शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना है। साथ ही किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी के माध्यम से परियोजना लागत का 35% अनुदान दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख प्रति यूनिट दी जाती है।

(साभार : प्रभात खबर, 3.9.2023)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय परिषद की 110वीं बैठक में चैम्बर के प्रतिनिधि शामिल हुए

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रिय परिषद की 110वीं बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2023 को श्रम संसाधन विभाग के सभा कक्ष में आयोजित हुई।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर की ओर से लेबर-सब-कमिटी के संयोजक श्री सुधी रंजन सम्मिलित हुए।

वैशाली में बनेंगे ब्रांडेड गारमेंट्स व बोधगया में होटल और कॉन्फ्रेंस सेंटर

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में लिये गये हैं निर्णय

राज्य के वैशाली में यूरोप, अमेरिका और भारत की नामचीन ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनियाँ अपना यूनिट लगायेंगी। बोधगया में होटल, रेस्टूरेंट और कॉन्फ्रेंस सेंटर बनेगा। रक्सौल में लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर में कोट और जैकेट उत्पाद बनाने की इकाई स्थापित होगी। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की 49वीं बैठक में गत दिनों प्रदेश में 556.39 करोड़ के 62 निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी है। फर्स्ट क्लियरेंस के रूप में इन प्रस्तावों को हरी झंडी में सबसे अधिक निवेश राइस मिल सेक्टर में हैं। राइस मिल सेक्टर में 196.96 करोड़ के 26 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गयी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विशेष बात ये है कि वैशाली और बोधगया में टेक्सटाइल एवं लेदर सेक्टर में 50 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावित हैं। वैशाली में यूरोप, यूएस और इंडियन ब्रांड के गारमेंट्स तैयार करने के लिए 49 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव आया है।

बेगूसराय में होगा वाटर पार्क और होटल का निर्माण : वहीं, बेगूसराय जिले में गौरुआ तेघड़ा में वाटर पार्क और होटल निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इसमें करीब नौ करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। पटना जिले के फतुहा में 28 राइस मिल लगाने को 28 करोड़ का और पूर्वी चंपारण जिले में राइस मिल सेक्टर में ही 38 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया है।

फर्स्ट क्लियरेंस से जुड़ी फैक्ट फाइल

सेक्टर	निवेश प्रस्ताव	प्रस्तवित निवेश (करोड़ में)
राइस मिल	26	196.96
खाद्य प्रसंस्करण	13	96.57
जनरल मैन्यूफैक्चर	08	93.86
टेक्सटाइल एवं लैदर	04	65.19
टूरिज्म	02	59.45
प्लास्टिक एंड रबर	05	20

नोट : 24 करोड़ से अधिक के चार प्रस्ताव और आये हैं। इसके अलावा दो करोड़ से कम के 48 अन्य निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस भी दिया गया है।

300 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय क्लियरेंस : पर्षद की बैठक के दौरान दो करोड़ से कम के 16 प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दिया गया है। यह निवेश प्रस्ताव करीब 15 करोड़ के है। इसी तरह 299.27 करोड़ के 23 ऐसे प्रस्तावों को हरी झंडी दी गयी है, जिनके निवेश प्रस्ताव दो करोड़ से अधिक के हैं। दरअसल सरकार और बैंक इन निवेश प्रस्तावों के फाइनेंस और दूसरी वित्तीय मदद के लिए तैयार हो गये हैं। **(साभार : प्रभात खबर, 3.9.2023)**

250 करोड़ से सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में खुलेगी ब्रिटानिया बिस्कुट फैक्ट्री

ब्रिटानिया की नयी फैक्ट्री पटना जिले के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में खुलने जा रही है। 250 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत वाली इस फैक्ट्री में व्यावयायिक उत्पादन नवंबर 2023 तक शुरू हो जायेगा। इस फैक्ट्री की बिस्कुट बनाने की कुल क्षमता सात हजार टन प्रति वर्ष होगी।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट्री की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हजार से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। बिस्कुट बनाने वाली तीन लेन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने यह जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा की है। उन्होंने बताया है कि बिहटा में पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान का निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है। इसका अगले वर्ष शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जायेगा। इस परियोजना की लागत 50 करोड़ है। इस संस्थान के जरिये युवाओं की रोजगार के अवसर हासिल होंगे। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 14.9.2023)**

अदाणी समूह ने दो सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जमीन की राशि बियाडा में जमा की

• तीन हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार • स्थानीय स्तर पर अकुशल श्रमिकों के लिए भी अवसर उपलब्ध होंगे

बिहार में बड़े स्तर पर निवेश के लिए आगे आए अदाणी समूह ने अपनी सीमेंट फैक्ट्री के लिए बियाडा के पास जमीन की राशि जमा करा दी है। अदाणी समूह दो जगहों पर सीमेंट फैक्ट्री लगा रहा है, जिसमें 2300 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है। कुछ माह पहले अदाणी के दोनों सीमेंट फैक्ट्री के प्रस्ताव को उद्योग विभाग ने अपनी मंजूरी प्रदान की थी। पहली कंपनी नवादा के समीप स्थित वारिसलीगंज में और दूसरी कंपनी मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में लगनी है।

नवादा में 70 तथा मोतीपुर में 25 एकड़ जमीन मिली है अदाणी को : नवादा में अदाणी समूह को उद्योग विभाग ने 70 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया है। वहाँ अदाणी समूह 1400 करोड़ रुपये निवेश कर रहा। वारिसलीगंज

चैम्बर के प्रतिनिधि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठकों में सम्मिलित हुए

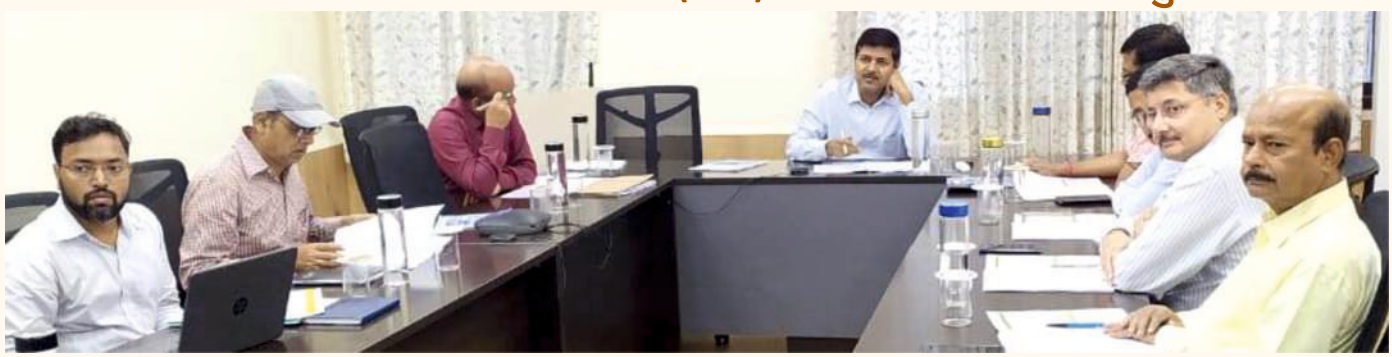

दिनांक 5, 12 एवं 19 सितम्बर, 2023 को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक श्री पंकज दीक्षित, भा.प्र.से., उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में हुई जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

की जमीन चीनी मिल की जमीन है। चीनी मिल अब बंद हो चुकी है। वही, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिए अदाणी समूह को उद्योग विभाग ने 25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए हैं। यह जमीन भी चीनी मिल की जमीन है। यहाँ अदाणी द्वारा 900 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

दोनों जगह की सीमेंट फैक्ट्री ग्राइंडिंग यूनिट होगी : उद्योग विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार दोनों जगहों पर लगने वाली अदाणी समूह की फैक्ट्री ग्राइंडिंग यूनिट होगी। अंबुजा सीमेंट के ब्रांड से सीमेंट का निर्माण किया जाएगा। यह सीमेंट ब्रांड अब अदाणी समूह का है। वारिसलीगंज में लग रही यूनिट से झारखण्ड को भी आपूर्ति होगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 10.9.23)**

कर्ज चुकाने के 30 दिनों के अंदर मूल दस्तावेज वापस करें बैंक

संपत्ति पर कर्ज लेने वालों के हित में आरबीआई का फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदारों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके अनुसार अब लोन चुका देने के बाद बैंक, एनबीएफसी या अन्य वित्तीय संस्थानों को चल या अचल संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेजों को 30 दिन के भीतर लौटाने होंगे। इसके साथ ही जो भी शुल्क लगाया गया है उसे भी हटाना होगा। आरबीआइ की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अगर कोई बैंक या वित्तीय संस्थान इस निर्देश का पालन नहीं करती है तो उसे ग्राहक को 5000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। रिजर्व बैंक कहा कि दस्तावेजों को लौटाने में देरी के चलते ग्राहकों की शिकायतें और विवाद बढ़ते हैं। आरबीआइ ने कहा कि ये निर्देश उन सभी मामलों पर लागू होंगे जहाँ मूल संपति दस्तावेज एक दिसम्बर, 2023 या उसके बाद जारी होने हैं।

कर्जदार के निधन की स्थिति में वापसी की प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी : आरबीआइ ने यह भी कहा है कर्जदार या संयुक्त कर्जदारों के निधन की स्थिति को लेकर वित्तीय संस्थान कानूनी उत्तराधिकारियों को संपत्ति के मूल दस्तावेजों की वापसी को लेकर पहले से प्रक्रिया निर्धारित करके रखेंगे। और उन्हें इसकी जानकारी अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा।

दस्तावेजों के नुकसान या गुम होने की स्थिति में ग्राहकों की मदद करनी होगी : अधिसूचना में कहा गया है कि संपत्ति के मूल दस्तावेजों के नुकसान या उसके गुम होने की स्थिति में संबंधित वित्तीय संस्थान कर्जदार को ऐसे दस्तावेजों की नकल / प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने में सहायता करेंगे और हर्जाने का भुगतान करने के साथ संबंधित लागत का बोझ भी उठायेंगे। ऐसे मामलों में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा। हर्जाने की गणना उसके बाद की जायेगी। यानी कुल 60 दिन की अवधि के बाद हर्जाना देना होगा।

कर्ज मंजूरी पत्रों में लिखा होगा दस्तावेज लौटाने का स्थान और समय सीमा : केन्द्रीय बैंक ने कहा कि अगर मूल दस्तावेज लौटाने में कोई देरी होती है, तो संस्थान इस बारे में संबंधित कर्जदाता को इसके कारण के बारे में सूचना देंगे। कर्जदाता को उसकी प्राथमिकता के अनुसार दस्तावेजों को या तो उस बैंक शाखा से एकत्र करने का विकल्प दिया जायेगा जहाँ ऋण खाता संचालित किया गया था या संबंधित इकाई के किसी अन्य कार्यालय से जहाँ दस्तावेज उपलब्ध हैं। मूल दस्तावेजों की वापसी की समय सीमा और स्थान के बारे में कर्ज मंजूरी पत्रों में लिखा होगा। **(साभार : प्रभात खबर, 14.9.2023)**

सूबे के चार जिलों में बनेंगे रेशम और हस्तकरघा के क्लस्टर

स्फूर्ति योजना से भागलपुर, पटना, गया, रोहतास में क्लस्टर का होगा निर्माण

प्रदेश के चार जिलों में रेशम व हस्तकरघा का क्लस्टर बनेगा। इसको लेकर हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय ने जिलों से 10 हजार वर्ग फीट जमीन की मांग की है।

जमीन की मांग को लेकर विभाग के निदेशक ने चारों जिलों को चिट्ठी भेजी है। स्फूर्ति योजना से भागलपुर, पटना, गया और रोहतास में क्लस्टर का निर्माण किया जाना है।

ये फायदे होंगे : • यहाँ तैयार कपड़े के धागों की रंगाई मनपसंद डिजायन में होगी • कपड़े पर थ्री-डी और लेजर स्टाइल में प्रिंट की छपाई होगी • यहाँ कपड़े की फिनिशिंग होने से मैटेरियल कॉस्ट बचेगा • एक छत के नीचे सभी तरह का काम होने से बुनकरों को आसानी होगी • निर्यातक यहाँ सभी काम का ऑर्डर एक साथ दे सकेंगे।

"स्फूर्ति योजना से क्लस्टर निर्माण के लिए शाहकुंड के शेखपुरा में जमीन का चयन कर ब्योरा भेजा गया था। उसमें कुछ कागज की कमी रह गई थी। संबंधित सीओ को कागज की जाँच कर रिपोर्ट देने के लिए डीडीसी के स्तर से पत्र भेजा गया है।"

– मनीष कुमार, प्रभारी, जीएम, जिला उद्योग केन्द्र।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.9.2023)

घर बैठे मोबाइल से दाखिल किया जा सकेगा आइटी रिटर्न

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए संशोधित वेबसाइट जारी किया है। इसमें कई नई सुविधाएँ जोड़ने जाने से इसकी मदद से कर भुगतान व आयकर रिटर्न भरना पहले से आसान हो गया है। इससे घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी गई है। यहीं नहीं करदाताओं को कर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी से निपटने के लिए वीडियो भी अपलोड किया गया है, इसकी सहायता से जानकारी प्राप्त कर अड़चन को दूर किया जा सकता है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार संशोधित वेबसाइट से उपयोगकर्ताओं को

जरूरी चीजें एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेंगी। आफलाइन मोड में आयकर भुगतान कैसे करें से लेकर आइटीआर 1, आइटीआर 2 व आइटीआर 4 कैसे दाखिल करें, इसका विस्तृत ब्योरा भी वेबसाइट में अपलोड किया गया है।

(सामार : दैनिक जागरण, 8.9.2023)

एफ. सं. पी- 27015/4/2020-लेदर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

सार्वजनिक सूचना

भारतीय जूते और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) 2021-26 की तीन उप-योजनाओं के तहत आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों को जमा करने हेतु पोर्टल को पुन: खोलना

केन्द्र सरकार ने 31.03.2026 तक या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो, रु० 1700 करोड़ के आवंटन के साथ छह-योजनाओं समेत, केन्द्रीय क्षेत्र योजना 'भारतीय जूते और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी)' को मंजूरी दे दी है।

2. इस विभाग ने पहले भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भारतीय जूते और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) की छह उप-योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन/ परियोजना प्रस्तावों के आमंत्रण हेतु 30.07.2022 को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से विज्ञापित किया था। आवेदन/प्रस्ताव को जमा करने हेतु अंतिम तिथि 31.08.2022 थी जिसे 15.12.2022 तक आगे बढा दिया गया था।

3. अब प्रस्तावों/ आवेदनों की स्थिति की समीक्षा के बाद , इस विभाग ने भारतीय जूते और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) 2021-26 की निम्नलिखित उप-योजनाओं के तहत नए आवेदन/प्रस्ताव/ को जमा करने हेतु पोर्टल को पुन: खोलने का निर्णय किया गया है:-

i) चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस)

ii) जूते और चमड़ा क्षेत्र के भारतीय ब्रांडों का ब्राण्ड प्रचार

iii) जूते एवं चमड़ा क्षेत्र में डिजाइन स्टूडियों का विकास

4. वित्तीय सहायता हेतु लिंक के साथ उक्त अंकित छह उप-योजनाओं के दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट यानी https://dpiit.gov.in/indian-foot wear-leather-and-accessories-development-program पर उपलब्ध हैं। सभी अपेक्षित दस्तावेजों (उप-योजना वार) और मानक प्रारुपों के विवरण https;//www.nsws.gov.in/portal/approvalsandregistrations में उपलब्ध हैं।

5. चमड़ा और जूते क्षेत्र में संलग्न राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों/ व्यक्तिगत इकाई/विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) आईएफएलडीपी की उपरोक्त कथित उप-योजना के तहत सहायता का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https ://www.nsws.gov.in/के माध्यम से अपने आवेदन/परियोजना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। आवेदन / परियोजना प्रस्ताव को जमा करने हेतु पाथवे निम्नानुसार हैं:-

निम्न पर लागॅइन व क्लिक करें : https:// www.nsws.gov.in/->"All schemes"->Select" Indian Foot-Wear and Leather Development Programme"->select the applicable sub-scheme"

6. ऑनलाइन पॉर्टल के माध्यम से प्रस्ताव को जमा करने के लिए अंतिम तिथि **30 अक्टूबर, 2023** है।

7. किसी प्रश्न/ सहायता हेतु, श्री रमन कांत सूद, निदेशक, डीपीआईआईटी, भारत सरकार, फोन नं. 23038871, ई-मेल: rk.sood@nic.in डी.पी.आई. आई.टी. में नोडल अधिकारी होंगे।

सीबीसी 05201/11/0014/2324

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.9.2023)

बैंक ग्राहक के खाते में वारिस का नाम जुड़वाएँ

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके ग्राहक अपने वारिस (नॉमिनी) को नामित करें। ऐसा करने से बिना दावे वाली जमा की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कहा कि बैंकिंग प्रणाली, म्यूचुअल फंड शेयर बाजार हर कोई यह ध्यान रखे कि जब कोई ग्राहक पैसे का लेनदेन करना है, तो संगठनों को भविष्य के बारे में सोचना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने वारिस का नाम और पता दें। एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल बैंकिंग प्रणाली में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक ऐसी राशि है जिसके दावेदार नहीं हैं। आरबीआई ने ऐसी राशि की खोज और दावा करने में मदद करने के लिए एक केन्द्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम की 17 अगस्त को शुरुआत की है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.9.2023)

ऑनलाइन चालान सुधार सुविधा शुरू

आयकर पेमेंट को और सरल और आसान करने के लिए आयकर विभाग ने आइटीआर पोर्टल पर नयी चालान सुधार सुविधा शुरू की है। इससे आयकरदाताओं को काफी सहायता मिलेगी।

नयी सुविधा के संबंध में वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि इस सुविधा का मुख्य मकसद आयकर चालान में हुई त्रुटियों को तेजी से सुधारना है। करदाता अपने आयकर भुगतान की तारीख से सात दिनों के भीतर इस नयी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस अवधि के बाद करदाताओं को सुधार के लिए ऑफलाइन मदद लेनी होगी।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन चालान सुधार सुविधा वित्तीय वर्ष 2020-2021 और उसके बाद से संबंधित चालान पर लागू है। निर्धारण वर्ष 2020-21 और उसके बाद के वर्षों के लिए कर पेमेंट करने वाले करदाता विशिष्ट त्रुटियों को ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं, जिससे आयकर कार्यालयों में भौतिक दौरे की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी। अगर उपयोगकर्ता चालान में और सुधार करना चाहता है, तो वह क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी से संपर्क कर सकता है। चालान सुधार अनुरोध केवल लघु शीर्ष 100 (एडवांस टैक्स) 300 (स्व-मूल्यांकन कर) और 400 (मांग भुगतान के रूप में) के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

(साभार : प्रभात खबर, 14.9.2023)

बड़े कारोबारियों को 30 दिनों के भीतर 'अपलोड' करनी होगी जीएसटी रसीद

बड़े कारोबार वाली कंपनियों को एक नवंबर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर 'अपलोड' करना होगा। यह प्रावधान 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा। जीएसटी के ई-इन्वॉयसिंग पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) ने एक परामर्श में जीएसटी प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी. इसके मुताबिक, प्राधिकरण ने रसीद जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। प्राधिकरण ने अपने परामर्श में बताया कि यह समय सीमा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं पर लागू होगी. यह व्यवस्था एक नवंबर, 2023 से लागू हो जायेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 12.09.23)**

सीए के बगैर बनने वाली ऑडिट रिपोर्ट भी होगी मान्य

केंद्र सरकार ने नियम में किए हैं कई तरह के अहम बदलाव

अब ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों (सीए) की भूमिका को सीमित किया गया है। पहले बिना सीए के यूनिक डाक्यूमेंट आइडेंटिटिज वेरीफिकेशन नंबर (यूडीआइएन) की ऑडिट रिपोर्ट मान्य नहीं होती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने विशेष प्रावधान कर इस नियम में बदलाव किया है। अब ऑडिट के दौरान बैलेंस शीट पर किसी कारणवश सीए के बगैर यूडीआइएन के बनने वाली ऑडिट रिपोर्ट भी मान्य होगी। इसमें सीए को दोबारा यूडीआइएन डालने का विकल्प रहेगा।

यह बातें दिनांक 8.9.2023 को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ

इंडिया (आईसीएआई) की ओर से आयोजित सेमिनार में इंदौर के विशेषज्ञ सीए पंकज शाह ने कहीं। गुड़गांव से आएं चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्तिक जिंदल ने बताया कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकार (एनएफआरए) के आ जाने के बाद जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंटों के हस्ताक्षर वाले ऑडिट रिपोर्ट में ढेर गलतियां सामने आ रही हैं। इसके कारण कंपनियों को नोटिस दी जा रही है। इसको देखते हुए सभी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को ध्यान रखना होगा कि कंपनी के बैलेंस शीट और लाभ-हानि को कंपनी एक्ट के शेड्यूल श्री के तहत ही बनाना होगा।

दूसरी तरफ आइसीएआई बिहार के अध्यक्ष सीए राम शंकर ने कहा कि कोई भी सीए बगैर किसी क्लाइंट के हस्ताक्षर किए बगैर अपना हस्ताक्षर नहीं करें। ऐसा करने पर उन्हें दंडित किया जा रहा है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 9.9.2023)**

एटीएम कार्ड है तो दुर्घटना पर मिलेगा 10 लाख तक मुआवजा

परिवहन विभाग करेगा जागरूक, बीमा का पहले से है प्रविधान

सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति अगर एटीएम कार्डधारक है, तो उनके आश्रितों को एक से 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिल सकता है। मृतक के स्वजन संबंधित बैंक में दुर्घटना बीमा क्लेम कर राशि पा सकते हैं। बीमा राशि एटीएम कार्ड की श्रेणी के अनुसार मिलेगी। यह प्रविधान पहले से मौजूद है, मगर जागरूकता के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। अब परिवहन विभाग लोगों को इसके प्रति जागरूक करेगा।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बैंक ग्राहकों को जब डेबिट या एटीएम कार्ड जारी करता है, तो उस पर दुर्घटना बीमा या असमय मौत पर मुफ्त इंश्योरेंस भी दिया जाता है। जानकारी के अभाव के कारण दुर्घटना में या असामयिक मौत के बाद एंटीएम कार्ड धारक के स्वजन को बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है। लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए हाल में हुई राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है। विभाग के स्तर से आम लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है।

दुर्घटना डेटाबेस के जरिए दी जाएगी सूचना : सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में मृतक के स्वजन को एटीएम बीमा का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से रोड दुर्घटना डेटाबेस का भी उपयोग किया जाएगा। संबंधित मृतक के आश्रितों को इस बारे में सूचना दी जाएगी, ताकि पीड़ित के स्वजन बीमा का दावा कर सकें। प्रविधान के तहत अगर किसी व्यक्ति को सरकारी या गैर-सरकारी बैंक के एटीएम का उपयोग करते 45 दिन हो गए हैं, तो वह कार्ड के साथ मिलने वाली बीमा सेवा का हकदार हो जाता है। हालांकि, अलग-अलग बैंको ने इसके लिए अलग अवधि तय कर रखी है। जिस बैंक से एटीएम कार्ड जारी हुआ है, उसी बैंक में जाकर स्वजन को आवेदन करना होगा। इसके लिए 60 दिनों के अंदर दावे से संबंधित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। नामिनी को इसके लिए एटीएम कार्डधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ एफआइआर की प्रति के साथ आश्रित का प्रमाण पत्र और मृतक के प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी देनी होगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 03.09.2023)**

घर कर्ज में शामिल हो सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क

मकान का सपना देखने वालों को मिल सकती है राहत, फैसला जल्द होने की संभावना

अगर आप आवास ऋण यानी होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो संभावना है कि आपको आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिल जाएगी। ताजा खबरों के मुताबिक अब आपका बैंक स्वीकृत घर कर्ज की राशि में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को भी कवर कर सकते हैं। इसके ग्राहक को फायदा होगा और बैंक की तरफ से ज्यादा रकम कराई जा सकेगी। **लेकिन ऐसा तब होगा जब बैंकों की तरह से भारतीय रिर्जव बैंक को इस बारे में दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है।**

प्रस्ताव में बैंकों ने कहा है कि आवासीय परियोजना लागत में स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री की फीस सहित अन्य खर्च को भी शामिल किया जाए। बताया जा रहा है कि बैंकों ने पिछले महीने इस बारे में अनुरोध किया है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में घर कर्ज में इस तरह के खर्च शामिल नहीं होते।

ज्यादा रकम मिलेगी : सूत्रों का कहना है कि इससे बैंकों का कोई अनुचित जोखिम नहीं बढ़ेगा। अगर आरबीआई 20 लाख रुपये. स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस के साथ एक करोड़ रुपये लागत के प्रोजेक्ट के लिए होम लोन की स्वीकृति देता है, तो उस कर्ज लेने वाले ग्राहक को मौजूदा 60 लाख की जगह 75 लाख रुपये तक रकम मिल सकती है।

कितना कर्ज मिलता है : आरबीआई की मौजूदा लोन टू वैल्यू रेशियो प्रॉपर्टी की कीमत का 75-90 प्रतिशत तक होता है। अगर कर्ज की राशि 75 लाख रुपये से ज्यादा है तो लोन टू वैल्यू रेशियो 75 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती। करीब 10 साल पहले आरबीआई ने घर कर्ज में स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री फीस सहित अन्य खर्च को शामिल न करने का निर्देश दिया था।

इस महीने आएगी नई ब्याज राहत योजना : अभी हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि शहरों में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को घर कर्ज पर ब्याज में राहत देने के लिए सितंबर में एक योजना लाई जाएगी। उनके मुताबिक अभी इस योजना के तौर- तरीकों पर काम किया जा रहा है।

कौन से शुल्क लगते हैं : • आवास ऋण प्रसंस्करण शुल्क • आवास ऋण प्रशासन शुल्क • स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क • आवास ऋण पर जीएसटी • संपत्ति के लिए तकनीकी/कानूनी मूल्यांकन शुल्क • आवास ऋण दस्तावेजीकरण शुल्क • क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट शुल्क • ऋण अवधि में बदलाव के लिए शुल्क • ऋण रूपांतरण शुल्क • ईएमआई में विलंब पर जुर्माना • ऋण पूर्व भुगतान शुल्क • अकाउंट स्टेटमेंट के लिए शुल्क • आवास ऋण पुनर्स्वीकृति शुल्क • चेक बाउंस शुल्क • आवास ऋण पर आकस्मिक शुल्क

(साभार : हिन्दुस्तान, 07.09.2023)

डीलरों के जरिए दिए प्रोत्साहनों पर वैध है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम

व्यवसाय पहले से तय बिक्री लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर डीलरों के जरिए सोने के सिक्के और व्हाइट गुड्स का प्रोत्साहन योजना के तहत वितरण करते हैं, तो उन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया जा सकता है।

जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह फैसला सुनाया। एएआर की कर्नाटक- पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रोत्साहन योजना के तहत डीलर को व्हाइट गुड्स या सोने के सिक्के खरीदने के लिए किए गए भुगतान पर आईटीसी का लाभ उठाया जा सकता है। ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड ने एएआर से संपर्क कर इस बारे में पूछा था कि क्या निर्धारित बिक्री लक्ष्य हासिल करने के लिए उसके डीलरों द्वारा सोने के सिक्कों और व्हाइट गुड्स के वितरण पर आईटीसी का दावा किया जा सकता है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 04.09.2023)**

बिहार के आठ सहित देश के 55 नए जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य

स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग का तीसरा चरण लागू करने का आदेश जारी

सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण देश के 55 नए जिलों में लागू हो गया है। ये जिले 16 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में शामिल है। केंद्र सरकार ने दिनांक 8.09.2023 को यह जानकारी दी।

इसके अंतर्गत बिहार में पूर्वी चंपारण सहित आठ जिलों के साथ आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के पांच-पांच जिले और तेलंगाना के चार जिले शामिल किए गए हैं।

इसके साथ हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु में तीन-तीन जिले जबकि असम, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में दो- दो जिले शामिल होंगे।

दो साल पहले शुरुआत : कीमती धातु की शुद्धता के प्रमाण के तौर पर हॉलमार्किंग 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू थी। वर्तमान में देश के कुल 343 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया जा चुका है। अब इसका तीसरा चरण शुरू हो गया है।

असली जेवर की पहचान : ग्राहकों को नकली आभूषण से बचाने और ज्वेलरी कारोबार की निगरानी के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई है। असली हॉलमार्क आभूषण पर भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोना निशान बना होता है। इसके अलावा सोने की शुद्धता भी लिखी होती है।

पंजीकृत विक्रेता बढ़े : सोने की हॉलमार्किंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने पिछले दो चरणों में इसे सफलतापूर्वक लागू किया है। हर दिन चार लाख से अधिक स्वर्ण उत्पादों को हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) के साथ हॉलमार्क किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू किए जाने के बाद से पंजीकृत आभूषण विक्रेताओं की संख्या 34,647 से बढ़कर 1,81,590 हो गई है जबकि परख और हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) 945 से बढ़कर 1,471 हो गए हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 09.09.2023)

निबंधित डीलर ही कर सकेंगे पुरानी गाडियों की खरीद-बिक्री का कारोबार

परिवहन विभाग की नयी व्यवस्था, अब डीटीओ से कराना होगा निबंधन

अब प्रदेश में निर्बंधित डीलर ही पुरानी गाड़ियों (दोपहिया, कार या अन्य वाहनों) की खरीद-बिक्री का कारोबार कर सकेंगे।

परिवहन विभाग के जारी आदेश के अनुसार, इनका कारोबार करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय से निबंधन कराना होगा। पुराने वाहनों का कारोबार करने वाले डीलरों को रेगुलराइज करने के लिए परिवहन विभाग तैयारी कर रहा है। मोटर वाहन नियमावली में परिवर्तन हो जाने से एक अप्रैल 2023 से अब यह कानून जरूरी हो गया है कि ऐसे सभी डीलर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और वाहनों की खरीद बिक्री अधिकृत रूप से करें। कोई भी वाहन मालिक यदि अपना वाहन बेचते हैं, तो वह इसकी ऑनलाइन सूचना निर्धारित प्रपत्र में जरूर दें और जैसे ही डीलर उस वाहन को अपने पास रखते हैं तो उसकी सूचना ऑनलाइन परिवहन विभाग को दे। इससे ऐसे वाहनों से यदि कोई अपराध की घटनाएं होती है या एक्सीडेंट होता है तो वाहन मलिक की जवाबदेही नहीं रहेगी बल्कि डीलर इसके लिए जवाबदेह होंगे। इससे कारोबार करने में और ज्यादा पारदर्शिता आयेगी।

चोरी के वाहनों की बिक्री पर लगेगी लगाम : इस नियम को लागू करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। वाहनों का रिकॉर्ड समय पर अपडेट रहने के कारण चोरी के वाहनों की बिक्री पर भी अंकुश लगेगा। वाहनों को तस्करी, आपराधिक गतिविधियों में उपयोग लिए जाने जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी।

डीलर को वाहन के रिन्यूअल के लिए आवेदन करने का होगा अधिकार : वाहन डीलरों को अपने कब्जे वाले वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराने, फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीकरण, डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण-पत्र बनाने, एनओसी व स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन का अधिकार होगा। वाहन लेने और बेचने के बाद डीलर को इसकी जानकारी परिवहन विभाग को देनी होगी। वाहन डीलर को प्राधिकार प्रमाण-पत्र लेने के लिए वाहन पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

सभी डीलरों को रखना होगा मूवमेंट रजिस्टर : डीलर के द्वारा ऐसे वाहन का उपयोग जब भी किया जायेगा या ट्रायल के लिए भेजा जायेगा, तो उसका मूवमेंट रजिस्टर भी उन्हें रखना होगा। उनके यहां कितनी गाड़ियाँ हैं, इसका हिसाब भी रखना पड़ेगा। पुरानी गाड़ी खरीदने वालों के लिए भी अब काफी आसान होगा, क्योंकि पहले डीलर की कोई जवाबदेही नहीं रहती थी, अब डीलर की भी जवाबदेही रहेगी।

"इससे आम लोगों को पुरानी गाड़ी खरीदने के दौरान किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी। पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री करने के व्यापार में आसानी होगी और पारदर्शिता भी आयेगी।"

– संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवहन विभाग

(साभार : प्रभात खबर, 8.9.2023)

टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए राज्य सरकार ने दिया सुनहरा मौका

7 फरवरी 2024 तक उठा सकते हैं एकमुश्त टैक्स योजना का लाभ

विगत माह कैबिनेट ने दी है स्वीकृति : टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए राज्य सरकार ने एक सुनहरा मौका दिया है। बकाया देय पथकर एकमुश्त जमा करने पर देय अर्थदंड में छूट दी जायेगी। यह योजना शुरु हो गई है। विगत माह कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। योजना का लाभ 7 फरवरी 2024 तक उठा सकते हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ टैक्स डिफॉल्टर निर्बंधित ट्रेक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफल्टर बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी, टैक्स डिफल्टर निर्बंधित / अनिर्बंधित परिवहन / गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं।

एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड से सर्वक्षमा : जिन टैक्स डिफॉल्टर (कर प्रमादी) टैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है उन्हें एकमुश्त 30,000 रु. जमा करने पर शेष देय कर / अर्थदंड से सर्वक्षमा दी जायेगी। वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निर्बंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिर्बंधित वाहन (टैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक के अनिर्बंधित वाहनों को छोड़कर), बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन का पथ कर बकाया उन्हें देय मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जायेगी।

अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति : टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन जिनका हरित कर बकाया है, उन्हें देय मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गये वाहन जिनका अस्थायी निबंधन की फीस बकाया है, उन्हें देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। वैसे डीलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित है उन्हें मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी।

नीलाम पत्र ले लिया जायेगा वापस : वैसे वाहन, स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उनके एकमुश्त राशि कर व अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 14.09.2023)

चार साल के भीतर डीजल वाहनों पर रोक का प्रस्ताव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित पैनल ने मई में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 2027 तक डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा था। इलेक्ट्रिक और गैस-ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही थी। हालांकि, अभी फैसला नहीं लिया है। माना जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

सरकार ने उठाए कदम : देश के प्रमुख शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत इसी साल एक अप्रैल से देश में स्वच्छ ईंधन के लिए फेम योजना के बीएस6 चरण-2 को लागू किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को रियायत दी है। गाडियों में एथनॉल ईंधन का इस्तेमाल शुरू किया गया है। वर्तमान में पेट्रोल में 11.75 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण हो रहा

है, जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य 2030 तक बॉयो ईंधन की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करना है, जो अभी 6.2% है।

डीजल पर सख्ती इसलिए : डीजल वाहन बहुत उच्च स्तर पर प्रदूषक कण पर्टिकुलर मैटर उत्पन्न करते हैं। लंबे समय तक ऐसी गैसों या हवा के संपर्क में रहने से फेफड़ों की समस्याएं और कई बीमारियां होने का खतरा है। शोध में खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा भी कम होती है।

कंपनियां भी सतर्क : वाहन निर्माता कंपनियां डीजल-कार निर्माण को लेकर सतर्क रही हैं और इसे कम करने की पहल कर रही हैं। मारुति सुजुकी इंडिया और होंडा सहित विभिन्न कार कंपनियों ने यात्री वाहन खंड में डीजल से चलने वाली कारों का निर्माण पहले ही बंद कर दिया है।

डीजल वाहनों पर नए कर का प्रस्ताव नहीं : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिनांक 12.9.2023 को स्पष्ट किया कि डीजल वाहनों पर 10 फीसदी अतिरिक्त जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इससे पहले वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के सम्मेलन में उन्होंने प्रदूषण में कमी लाने के लिए डीजल वाहनों पर अतिरिक्त कर लगाने पर जोर दिया था।

पैनल की अहम सिफारिशें : • 2024 से केवल बिजली से चलने वाले वाहनों के नए पंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए • 2030 तक ऐसी सिटी बसें नहीं जोड़ी जानी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक नहीं हैं • वाहन उद्योग में प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाया जाए। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.09.2023)**

डीडीयू से किऊल वाया पटना तीसरी-चौथी रेल लाइन बिछेगी

दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना जंक्शन होकर किऊल तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का निर्माण होगा। इस परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। रेलवे बोर्ड ने इस 390 किमी लंबी रेललाइन निर्माण से जुड़े सर्वे के लिए आठ करोड़ की आरंभिक राशि स्वीकृत की है।

पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव और डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने बुधवार दिनांक 13.09.2023 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। साथ ही दानापुर, पटना, पाटलिपुत्र और राजेन्द्रनगर टर्मिनल को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनेगा। दानापुर यार्ड में थर्ड लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिससे उत्तर बिहार एवं पटना की ओर से आने-जाने वाली गाड़ियों का परिचालन निर्बाध रूप से किया जा सकेगा। वहीं, बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन के लिए जल्द ही सर्वे शुरू होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.09.2023)

वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य

वर्ष 2070 तक कार्बन के नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इसके लिए सरकार ने यूनाइटेड नेशन इनवायरमेंट प्रोग्राम (यूएनइपी) के साथ समझौता किया है। यूएनइपी, सेंटर फॉर इनवायरमेंट इनर्जी एंड वाटर (सीइइडब्ल्यू) और वाटर रिसोर्स (सीइइडब्लू) और वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया (डब्लूआरआइ) के साथ मिलकर नेट जीरो उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से कैसे निबटा जाये इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर दी है। जल्द ही सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी।

नेट जीरो उत्सर्जन क्या है? : नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य करना नहीं है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को दूसरे कामों से बैलेंस करना। कुल मिलाकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना, जिसमें फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल ना के बराबर हो। उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी बहुत कम हो। आप जितना कार्बन पैदा कर रहे हैं उतना ही उसे एब्जॉर्ब करने का इंतजाम आपके पास होना चाहिए।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 11.09.2023)

कार में छह एयरबैग अनिवार्य नहीं होगा

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिनांक 13.9.2023 को कहा कि सरकार यात्री कारों में छह एयरबैग अनिवार्य नहीं करेगी। सरकार ने पिछले साल यात्री वाहनों में छह एयरबैग अक्टूबर, 2023 से अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था। यह सुरक्षात्मक कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए उठाया गया था। गडकरी ने कहा कि नए कार क्रैश टेस्ट मानक (भारत- एनसीएपी) लागू होने के बाद छह एयरबैग अनिवार्य करने की जरूरत नहीं रह जाएगी।

ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की वार्षिक बैठक के दौरान गडकरी ने कहा कि देश में बहुत सी वाहन निर्माता कंपनियां हैं, जो पहले से ही छह एयरबैग दे रही हैं और उन कारों का विज्ञापन भी कर रही हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.09.2023)

वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र अब ऑनलाइन जारी होगा

पटना सहित राज्य के सभी वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होने लगा है। कुछ दिनों तक इसका ट्रायल कर देखा गया। ट्रायल सफल होने के बाद नई व्यवस्था को पटना सहित राज्य भर में लागू कर दिया गया है।

नई व्यवस्था के बाद अब पटना सहित प्रदेश के सभी जिलो में कॉमर्शियल वाहन मालिकों या चालकों को फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए डीटीओ या आरटीए का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर वाणिज्यिक वाहन के मालिक ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेकर वाहन की फिटनेस जांच करा सकते हैं। बिहार राज्य परिवहन आयुक्त के द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर सूचना दी गई है।

ट्रायल के बाद नई व्यवस्था लागू हुई : ट्रायल सफल होने के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वाहन मालिकों की सुविधा को देखते हुए फिटनेस प्रमाण-पत्र के निर्गमन के लिए वाहन जांच परीक्षण के लिए अप्वाइंटमेंट बुकिंग की व्यवस्था की गई है। जिसके अंतर्गत वाहन मालिक https:/vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार वाहन की जांच के लिए अप्वाइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके बाद वाहन मालिकों को संबंधित वाहन की जांच के लिए निर्धारित स्थल पर वाहन सहित उपस्थित होना जरूरी है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.09.2023)

गाँधी सेतु पर अगले साल से टोल टैक्स देना होगा, 2012 से बंद था

महात्मा गांधी सेतु से आने-जाने वाले लोगों को एक बार फिर अगले साल से टोल टैक्स देना होगा। यह टोल टैक्स महात्मा गांधी सेतु के मरम्मत पर होने वाले खर्च का है। 2012 से टोल टैक्स यहां बंद था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने नए पुल के निर्माण के बाद एक साथ दोनों पुल पर होने वाले खर्च की राशि को टोल टैक्स के रूप में वसूलने का निर्णय लिया है। नए पुल का निर्माण सितंबर 2024 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

हाजीपुर की तरफ होगा टोल प्लाजा : हाजीपुर की तरफ टोल प्लाजा बनेगा। यहां पर 16 लेन का सड़क होगी। वहीं, पटना के तरफ आठ लेन की सड़क होंगी। यह पुल जाने के लिए अप्रोच रोड होगा। पटना से हाजीपुर की ओर चार लेन वाले नए पुल से लोग जाएंगे। वहीं हाजीपुर से पटना की ओर चार लेन पुराने पुल से लोग आएंगे। इसके साथ ही इस पुल के समानांतर पश्चिम तरफ 1800 करोड़ की लागत से नया 4लेन पुल बन रहा है। इसका निर्माण कार्य मार्च 2021 में शुरू हुआ है। इसको सितंबर 2024 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

गांधी सेतु एक नजर : • 1972 में गांधी सेतु का नर्माण शुरू हुआ • 1982 उद्घाटन इन्दिरा गांधी ने किया • 20 साल में ही तकनीकी गड़बड़ी आने लगी। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 08.09.2023)**

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 एवं नियमावली-2010 के तहत रैयतों को प्रदत्त सुविधाएं :-

- राज्य के स्वत्वाधिकार अभिलेखों, चौहद्दी, राजस्व अभिलेखों की प्रवृष्टियों, रैयती भूमि पर गैर कानूनी दखल अथवा सार्वजनिक भूमि के आवंटियों की जबरन बेदखली से उद्भूत समस्याओं एवं विवादों का एकरुपता से समान प्रक्रिया अपना कर 90 दिन के अन्दर कार्यवाही का Summary Disposal करने हेतु इस अधिनियम को लाया गया। जिसमें सक्षम प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को बनाया गया।
- इस अधिनियम की धारा-4 के तहत विवाद निराकरण हेतु क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार बताये गये हैं।

  (क) इस अधिनियम में शामिल 6 अधिनियमों के तहत किसी के साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा बन्दोबस्ती के दस्तावेज या निर्गत पर्चा के द्वारा बन्दोबस्ती या आवंटित किसी भूमि या उसके अंश से किसी बन्दोबस्ती धारी या आवंटी की अनधिकृत तथा गैर-कानूनी बेदखली :

  (ख) अनधिकृत तथा गैर-कानूनी बेदखली के न्याय निर्णय के उपरान्त विधित: सुयोग्य बन्दोबस्ती धारी या आवंटी के पक्ष में बंदोबस्त / आवंटित भूमि का दखल पुन: स्थापित करना

  (ग) किसी विधित: सुयोग्य बन्दोबस्तीधारी/आवंटी की आशंकित बेदखली

  (घ) रैयती भूमि से सम्बन्धित उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित मामलों में कोई

  (ङ) भू-खण्ड का विभाजन

  (च) मानचित्र / सर्वे मानचित्र सहित स्वत्वाधिकार अभिलेख में की गयी प्रविष्टि में संशोधन

  (छ) किसी व्यक्ति के अधिकारों का प्रख्यापन

  (ज) सीमा - विवाद

  (झ) अनधिकृत संरचना निर्माण
- इस अधिनियम की धारा-14 के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर आयुक्त के समक्ष अपील करने का प्रावधान है।

इस अधिनियम की खास विशेषता यह है कि इसमें सक्षम प्राधिकार को अपने आदेश के कार्यवयन हेतु दण्डाधिकारी एवं बल प्रतिनियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

(साभार : आइनेक्स्ट, 14.09.2023)

हाजीपुर-छपरा फोरलेन हाईवे के निर्माण का कार्य 12 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सका

बिहार के पहले 4 लेन बनाने के लिए घोषित हाजीपुर-मुजफ्फरपुर और हाजीपुर-छपरा एनएच 12 सालों में भी नही बन पाए। राजधानी पटना को चारों तरफ से 4 लेन कनेक्टिविटी देने के लिए इन दोनों नेशनल हाइवे को केन्द्र सरकार ने सबसे पहले चुना था जिनका निर्माण अब भी जारी है। 4 लेन गांधी सेतु के फिर से जीर्णोद्धार होकर चालू हो जाने और जेपी दीघा सेतु के बन जाने के बाद तो इन दोनों हाइवे पर गाड़ियों का भारी दबाव है। पर दोनों हाईवे से तय समय में गाड़ी को पार कराना अब भी अबूझ पहेली है। वैसे एनएचएआई पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले इन दोनों महत्वपूर्ण हाइवे को अगले साल बना देने का फिर दावा कर रहा है। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दोनों हाईवे को शीघ्र पूरा कराने का आग्रह किया है।

हाजीपुर-मुजफ्फरपुर हाईवे, लंबाई 63 किलोमीटर, लागत 672 करोड़ रुपये : हाजीपुर-मुजफ्फरपुर हाईवे में 17 किलोमीटर लंबा मुजफ्फरपुर बायपास अब तक नहीं बन पाया है। अगस्त 2010 से गैमन एजेंसी बना रही है। जमीन अधिग्रहण के कारण काम सालों तक काम लटके रहे। अभी हालत ये है कि पटना से दरभंगा या मोतिहारी- नेपाल की तरफ जाने वाली गाड़ियों को मुजफ्फरपुर शहर से गुजरने में रोज जाम का सामना करना पड़ रहा है। शहर के लोग भी सुबह-शाम घंटों जाम से जूझ रहे हैं। हालांकि अब जमीन अधिग्रहण की समस्या नहीं है। परियोजना 90 फीसदी पूरी हो पायी है। अब बाईपास निर्माण का काम चालू हुआ है और अगले वर्ष जनवरी तक काम पूरा कर देने का लक्ष्य है। पटना हाई कोर्ट इस हाईवे निर्माण की मॉनिटरिंग कर रहा है।

हाजीपुर-छपरा हाईवे, लंबाई 67 किमी, लागत 575 करोड़ : हाजीपुर-छपरा हाईवे में आधी सड़क एक लेन ही चालू है। गंडक नदी पर पुल भी 10 सालों से बन रहा है। हालात ये है कि पटना से छपरा जाने वाली गाड़ियों ने परेशान होकर रूट बदल लिया है। पटना-शीतलपुर, आमी-डोरी गंज-छपरा एलाइनमेंट छोड़ लोग अब छपरा जाने के लिए शीतलपुर से बसंत-गरखा-छपरा या नया गांव- परसा-सोनहो होते छपरा जाने को मजबूर हैं। इन दोनों रुट से समय भी ज्यादा लग रहा और दूरी भी ज्यादा है। जनवरी 2011 से पीपीपी मोड पर ये हाइवे मधुकॉन एजेंसी बना रही है। पर जमीन अधिग्रहण और एजेंसी को पैसे की कमी के कारण काम बंद होता रहा है। हालांकि एजेंसी को इंवेस्टर मिल जाने के कारण अब फिर से काम चालू हुआ है। परियोजना 90 फीसदी पूरी हो पायी है। अगले वर्ष जून तक इसे पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 13.09.2023)

डाकबंगला क्षेत्र में सौ करोड़ से बिछेंगे भूमिगत विद्युत तार

डाकबंगला विद्युत आपूर्ति डिविजन का इलाका अगले साल तक पूरी तरह बिजली केबल से सुसज्जित हो जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत यह काम होगा। इसे बिजली कंपनी करेगी। नगर विकास विभाग ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि बिजली कंपनी को जारी कर दी है। बिजली कंपनी अब इसका टेंडर निकालने की प्रक्रिया में जुटी है।

कंपनी की योजना अक्टूबर तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने की है। इसके बाद काम शुरू होगा और अगले एक साल यानी 2024 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत अगले साल तक बिछ जाएगी भूमिगत केबल।

इन क्षेत्रों को होगा फायदा : डाकबंगला विद्युत आपूर्ति डिविजन से जुड़े गांधी मैदान, डाकबंगला, स्टेशन गोलंबर, वीरचंद पटेल पथ, विद्यापति मार्ग, छज्जूबाग, एसपी वर्मा रोड, कदमकुआं, एग्जीबिशन रोड, नाला रोड, पश्चिमी लोहानीपुर, भट्टाचार्या रोड, दलदली, साहित्य सम्मेलन समेत गली-मुहल्ले में भूमिगत बिजली केबल बिछाया जाएगा। इन इलाकों में खुले तार नहीं रहेंगे।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 06.09.2023)

रेलवे हेल्पलाइन पर 30 सेकंड में जवाब

रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में रोजाना सफर करने वाले सवा दो करोड़ रेल यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 139 को सुविधाजनक बना दिया है। इसमें यात्री को तीन मिनट के बजाए 30 सेकंड में जवाब मिलेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक की मदद से यात्री बोलकर रेल संबंधी जानकारी अथवा पुलिस सहायता मांग सकेंगे। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर वर्तमान में तीन मिनट तक वेटिंग टाइम होता है लेकिन नए बदलाव के बाद यात्री 30 सेकंड से कम समय में कॉल सेंटर से जुड़ जाएंगे। इसके अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी सहित कुल 13 भाषाओं में बात कर सकेंगे। नोएडा व मैसूर दो स्थानों पर कॉल सेंटर बनाए गए हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 06.09.2023)

मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर से यूरोप जाने में 36 की जगह 22 दिन लगेंगे

नए कॉरिडोर से भारत से यूरोप जाने वाले कार्गो का 40% समय बचेगा

पॉजिटिव पहलू : मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन के बीआरआई का विकल्प होगा। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात-निर्यात आसान और सस्ता होगा।

दिल्ली में जी-20 बैठक ने दुनिया में भारत की भागीदारी के कई द्वार खोले हैं। अमेरिका और यूरोप से सबसे बड़े इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप

इकोनोमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) प्रोजेक्ट में भारत भी शामिल हो गया है। भारत, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजरायल और जॉर्डन को भी मिलेगा।

इस कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान के आवागमन में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत होगी।

भारत इन 7 कारणों से बना 6 हजार किमी लंबे कॉरिडोर का हिस्सा : **1.** अभी तक भारत और अमेरिका इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। पहली बार दोनों देश मिडिल ईस्ट में किसी प्रोजेक्ट में साझेदार बने हैं **2.** भारत की मध्य एशिया से जमीनी कनेक्टिविटी की पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा था, वह 1991 से भारत के प्रयासों को रोकने की कोशिश कर रहा है **3.** भारत-ईरान के संबंध सुधरे हैं, प्रतिबंधों में वहां प्रोजेक्ट पूरा करना संभव नहीं है **4.** भारत की अरब देशों के साथ की भागीदारी बढ़ी, भविष्य में संबंध मजबूत होंगे **5.** मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से अरब प्रायद्वीप में राजनीतिक स्थिरता आएगी **6.** ईयू ने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 300 मिलियन यूरो का बजट दिया है **7.** नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प है। जी-20 में अफ्रीकी यूनियन के भागीदार बनने से चीन की अफ्रीकी देशों में बढ़ते दबदबे से निजात मिलेगी। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 11.9.2023)**

बिहार सरकार
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ई-मेल : msbspcb-bin@gov.in, वेबसाइट : http://bspcb.bihar.gov.in

दिनांक 22 फरवरी, 2022 के पूर्व स्थापित ईंट-भट्ठा के स्वामी के लिये

अति-आवश्यक सूचना

नीचे दी गई बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की अधिसूचना संख्या: 23, दिनांक: 31.8.2023 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश में वैसी ईंट-भट्ठा इकाईयाँ जो राज्य पर्षद् से पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना दिनांक 22.02.2022 के पूर्व स्थापित हैं, उन्हें जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् स्थापनार्थ सहमति (CTE) हेतु निम्नलिखित दिशा-निदेश की सुविधा अन्तिम रूप से दिनांक 31.12.2023 तक प्रदान किया जाता है।

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या : 23

दिनांक : 22. 02.2022 से पूर्व राज्य की परिसीमा में स्थापित ईंट भट्ठा के स्थापनार्थ सहमति हेतु पर्षद की निर्गत अधिसूचना संख्या : 23, दिनांक: 30.08. 2023 को एतद् द्वारा अवक्रमित करते हुए संशोधित दिशा-निदेश निम्न प्रकार निर्गत किया जाता है।

दिनांक 16.08.2023 को ईंट निर्माताओं के साथ सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय तथा पर्यावरणीय प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन हेतु भारत का राजपत्र संख्या G.S.R. 143(E), दिनांक 22.02.2022 के प्रकाशन से पूर्व बिहार राज्य की परिसीमा में स्थापित ईंट भट्ठा इकाईयों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा - 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति से संबंधित दिशा-निदेश निम्नवत होगा। यह दिशा-निदेश केवल वैसे ईंट भट्ठों के लिए लागू होंगे, जो दिनांक 22.02.2022 से पूर्व स्थापित हैं-

1. वैसे ईंट भट्ठे, जो भारत सरकार की अधिसूचना संख्या G.S.R. 143 (E), दिनांक 22.02.2022 के प्रकाशन के पूर्व से बिहार राज्य की परिसीमा में स्थापित हैं एवं स्वच्छतर तकनीक (यथा : जिग-जैग तकनीक अथवा वर्टिकल सॉफ्ट तकनीक) में परिवर्तित हैं, परन्तु उनके पास राज्य पर्षद की वैध सहमति नहीं है, उन्हें दिनांक 31.12.2023 तक पर्यावरणीय क्षति-पूर्ति राशि की दोगुनी राशि यथा रु. 3,00,000/-(तीन लाख रुपये) मात्र के साथ OCMMS के माध्यम से स्थापनार्थ सहमति हेतु सशुल्क आवेदन राज्य पर्षद को समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है;
2. ईंट भट्ठा के वर्तमान स्थल को पर्षद् की अधिसूचना संख्या: 16, दिनांक: 14.06.2021 द्वारा निर्गत दूरी संबधित माप-दण्ड को पूरा करना अनिवार्य होगा;
3. निम्नांकित मे से कोई अभिलेख को साक्ष्य के रूप में आवेदन के साथ समर्पित करना होगा, जो प्रमाणित करता हो कि ईंट भट्ठा दिनांक 22.02.2022 के पूर्व स्थापित हो चुका है। यें अभिलेख निम्नलिखित हैं:-
   (क) खनन रॉयल्टी रसीद
   (ख) पर्यादरणीय स्वीकृति की प्रति,
   (ग) ईंट भट्ठे के नाम बिजली-विपत्र
   (घ) जी. एस. टी. की प्रति;
4. उपर वर्णित चार अभिलेखों के अतिरिक्त सरकार अथवा किसी अन्य वैध सरकारी प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई दस्तावेज अथवा पत्र आवेदक द्वारा साक्ष्य के रूप में समर्पित किया जा सकता है, जो ईंट भट्ठे की स्थापना को दिनांक 22.02. 2022 से पूर्व होने को सत्यापित करता है। परन्तु ऐसे मामलों में अभिलेख की योग्यता के आधार पर जाँचोपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात राज्य पर्षद् द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
5. ऐसे ईंट भट्ठे के स्वामी जिन्होंने पर्षद् की अधिसूचना संख्या: 25, दिनांक : 20.10.2022 के तहत् दिनांक 31.01.2023 अथवा इससे पूर्व उपर वर्णित दिशा-निदेशों का अनुपालन करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि (यथा-रूपये तीन लाख) मात्र के साथ स्थापनार्थ सहमति हेतु आवेदन राज्य पर्षद् को समर्पित किया था। परन्तु किन्हीं कारणों से उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा लिखित आवेदन राज्य पर्षद् में समर्पित कर प्रासंगिक आवेदन पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध कर सकते हैं। उक्त स्थिति में उनके द्वारा समर्पित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि को मान्य समझा जायेगा। परन्तु आवेदक को लिखित आवेदन की पावती के साथ स्थापनार्थ सहमति हेतु पुन: सशुल्क आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा;
6. यह दिशा-निदेश अन्तिम रूप से दिनांक 31.12.2023 तक मान्य है। **ऐसे ईंट भट्ठे जो 31.12.2023 तक स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तित नहीं होंगे** एवं जिन्हें बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा - 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21के तहत् **वैध सहमति प्राप्त नहीं होगा, वैसे ईंट भट्ठे को उक्त तिथि के पश्चात स्वत: अवैध माना जायेगा तथा उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई आरम्भ की जायेगी;**
7. सर्दियों के मौसम में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में ह्रास की स्थिति को देखते हुए संबंधित शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थापित एवं संचालित ईंट भट्ठे को परिस्थिति के अनुरूप तत्काल प्रभाव से बंद करने का वैधानिक निदेश राज्य पर्षद् द्वारा जारी किया जायेगा। उक्त निदेश का परिवेशीय वायु की गुणवत्ता के निवारण एवं नियंत्रण तथा जनहित में संबंधित क्षेत्र के ईंट भट्ठे के स्वामी को अनुपालन सुनिश्चित करना होगा;
8. बिहार राज्य ईंट निर्माता संघ का सहयोग लेते हुए उनके द्वारा नामित पदाधिकारियों को यू.एन.डी.पी. द्वारा विकसित ऐप GeoAI Platform उपलब्ध कराया जायेगा ताकि ईंट भट्ठा के स्थल से जिलावार आंकड़ों का संकलन ऐप पर उपलब्ध हो सके। इस हेतु नामित पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कराने हेतु प्रशिक्षण-कार्यक्रम का आयोजन कराया जायेगा।

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

सदस्य सचिव

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.9.2023)

पटना में खुलेगा जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच

पटना में जल्द ही जीएसटी ट्रिब्यूनल शुरू हो जायेगा। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस के खुलने से जीएसटी कार्रवाई के बाद पहली अपील में कमिश्नर के फैसले से संतुष्ट न होने पर कारोबारी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे। जबकि, ट्रिब्यूनल नहीं होने की स्थिति में मामला हाइकोर्ट में चला जाता था। इस संबंध में जीएसटी के विशेषज्ञ राजेश खेतान ने बताया कि जीएसटी ट्रिब्यूनल में सदस्यों की नियुक्ति होगी। इसमें न्यायिक और दो

टेक्निकल सदस्य होंगे। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के एक-एक प्रतिनिधि होंगे। रजिस्ट्रशन रिजेक्ट, रिफंड, इ-वे बिल, आइटीसी से संबंधित मामले और विवादित जीएसटी संबंधित मामले कम समय में निबटारा होगा। उन्होंने बताया कि फिलवक्त जीएसटी कानून के तहत विभागीय कार्रवाई में कारोबारियों पर निकाली गयी डिमांड पर पहली अपील कमिश्नर के पास की जाती है। अगर कोई कारोबारी कमिश्नर की सुनवाई से संतुष्ट न हो तो उन्हें पटना हाइकोर्ट जाना पड़ता है। जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच बनने के बाद कारोबारी पटना हाइकोर्ट के बदले जीएसटी ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे।

चैम्बर पिछले छह सालों से ट्रिब्यूनल का गठन करने का इंतजार कर रहा था। अब इंतजार समाप्त हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी इसी तरह का प्रावधान है। ट्रिब्यूनल होने से हाइकोर्ट जाना पड़ता था।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : प्रभात खबर, 19.9.2023)

नई ई-कामर्स नीति में छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ई-कामर्स कंपनियाँ और छोटे कारोबारी बनेंगे एक-दूसरे के पूरक, जल्द आएगी पालिसी

• कोरोना काल में छोटे और आफलाइन खुदरा व्यापारियों का योगदान अद्‌भुत • सरकार आफलाइन व्यापार करने वालों के लिए ओएनडीसी प्लेटफार्म लेकर आई

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोरोना काल में उपभोक्ताओं का ध्यान रखने वाले छोटे व आफलाइन कारोबारियों की ई-कामर्स पालिसी में अनदेखी नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही ई-कामर्स पालिसी का एलान कर सकती है, जिसमें इस बात की कोशिश की गई है कि ये सभी के लिए लाभकारी हो और ई-कामर्स कंपनियाँ व छोटे व्यापारी एक-दूसरे के पूरक बनें। बता दें कि पिछले महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में ई-कामर्स पालिसी से जुड़े सभी हितधारकों की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। पिछले तीन साल से ई-कामर्स पालिसी लाने पर चल रहा हैं, लेकिन अब तक इसका एलान नहीं किया जा सका है।

गोयल ने कहा कि खुदरा व्यापार और एमएसएमई को संरक्षण देना सरकार की नीति में शामिल हैं और ये व्यापारी हमारी प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब ई-कामर्स कंपनियाँ लोगों तक सामान पहुँचाने में असफल रही थीं, तब इन छोटे व्यापारियों ने अपनी जान पर खेलकर और अपनी सेहत को दांव पर लगाकर ग्राहकों तक सामान पहुँचाने का काम किया। इन छोटे और आफलाइन खुदरा व्यापारियों का योगदान अद्‌भुत है। हम ई-कामर्स पालिसी में इन व्यापारियों पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। आफलाइन व्यापार करने वाले छोटे कारोबारियों के लिए ही सरकार ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स (ओएनडीसी) प्लेटफार्म लेकर आई है। गोयल ने कहा कि घोषित होने वाली ई-कामर्स नीति में सभी के हित की बात है। सभी के लाभ का ख्याल रखा गया है।

लागत से कम दाम पर सामान नहीं बेच सकेंगी ई-कामर्स कंपनियाँ : आफलाइन खुदरा कारोबारी पिछले कई सालों से ई-कामर्स कंपनियों की तरफ से भारी छूट के साथ सामान बेचने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी बिक्री लगातार कम हो रही है। सूत्रों के मुताबिक, नई ई-कामर्स पालिसी में लागत से कम दाम पर सामान बेचने की इजाजत नहीं होगी। सभी ई-कामर्स कंपनियों को सरकार के यहाँ अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता उनके खिलाफ शिकायत कर सकेंगे, जिसका त्वरित निपदान होगा। ई-कामर्स प्लेटफार्म पर सभी विक्रेताओं की पूरी जानकारी होगी। मार्केट प्लेस व इन्वेंट्री माडल के बीच ई-कामर्स कंपनियों को स्पष्ट अंतर बताना होगा। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर सामान बेचने वाली सभी कंपनियों को ई-कामर्स पालिसी के दायरे में लाया जा सकता है।

मसाला उद्योग को 2030 तक 10 अरब डालर का निर्यात करने के लिए किया प्रोत्साहित : केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिनांक 16 सितम्बर, 2023 को भारतीय मसाला उद्योग के सदस्यों को 2030 तक 10 अरब डालर के निर्यात का लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर मूल्यवर्धन पर विचार करना चाहिए। हमें एक बड़ा बाजार बनाना शुरू करना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत ही मामूली लक्ष्य निर्धारित किया है और उम्मीद है कि आप इसे पार करने की कोशिश करेंगे। हमें दुनिया भर में मौजूद मसालों के सभी पुराने आकर्षण को वापस लाना है। हमें अन्य देशो को मसालो का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भारतीय मसालों के प्रमख आया तक चीन, अमेरिका, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 17.9.2023)

निजी संस्थान कर छूट लेने को 30 तक करें आवेदन

आयकर विभाग के अधिकारियों ने निजी संस्थानों या एनजीओ, अधिवक्ता, सीए समेत अन्य के वर्ग के लोगों के साथ कार्यशाला आयोजित कर टैक्स के प्रावधानों और जमा करने से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी दी।

शहर के डाकबंगला चौराहा स्थित लोकनायक भवन स्थित आयकर कार्यालय में आयोजित इस ऑउटरिच कार्यक्रम के अंतर्गत यह बताया कि अगर निजी संस्थान या एनजीओ आयकर में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो 30 सितम्बर तक 10 (23) सी, 12एबी एवं 80 जी सर्टिफिकेट के तहत निबंधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इस निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करते हैं, तो उन्हें कर में मिलने वाली छूट समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान उन एनजीओ के लिए है, जो पहले आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत निबंधित थे और उन्हें अब आयकर अधिनियम की धारा 12 एबी के तहत आवेदन करना है।

अपर आयकर आयुक्त (छूट) रंजीत कुमार मधुकर ने बताया कि सभी अधिवक्ता, सीए और निजी संस्थान आयकर विभाग के स्तर से दी गई सभी नई जानकारियों से लाभान्वित होंगे। सभी लोगों को नई जानकारी के बारे में ठीक से बताएँ। सभी को सावधानी पूर्वक ऑनलाइन फॉर्म भरने की सलाह दी खासकर आईटीआर- 7 को भरते समय, ताकि किसी तरह की त्रटि नहीं हो सके।

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.9.2023)

हाथीपांव से ग्रसित कहलाएँगे निःशक्त

हाथीपांव से ग्रसित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। इसके तहत उन्हें नि:शक्तता प्रमाण पत्र दिया जायेगा। राज्य सरकार ने लिम्फोडेमा के कारण हाथों में अत्यधिक सूजन या हाथीपांव ग्रसित रोगियों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से नि: शक्तता प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में राज्य आयुक्त, नि:शक्तता कौशल किशोर ने सभी सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिये हैं। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 28.9.2023)**

लंबित अनुदान - प्रोत्साहन राशि के दावे का होगा भुगतान

बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद ने राज्य की यूनिट संचालकों से कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितम्बर तक के लंबित अनुदान और प्रोत्साहन राशि संबंधी दावे एक अक्टूबर से 30 नवम्बर तक कर दें। इसके लिए विभागीय पोर्टल swc2.bihar. gov.in पर सभी वांक्षित कागजात सहित ऑनलाइन आवेदन किये जायें। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उद्योग विभाग इन दावों के आधार पर सभी राशियों का भुगतान करेगा। यह दावे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 एवं उससे पहले की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, समेकित खाद्य प्रसंस्करण योजना 2008, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, बिहार प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022, से संबंधित लंबित अनुदान दावे किये जा सकते हैं। यूनिट संचालकों को यह समूची जानकारी दे दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के सामने अलग-अलग विभिन्न दावों के भुगतान के लिए मांग आ रही है। इन्हीं सभी मांगों के समाधान के लिए यह कदम उठाया है।

खादी संस्था एवं समितियों से बकाया कार्यशील पूंजी की वसूली में तेजी शुरू : खादी संस्था एवं समितियों से उद्योग विभाग ने कार्यशील पूंजी की वसूली में तेजी लाने शुरू कर दी है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25 सितम्बर तक 2. 71 करोड़ से अधिक की राशि वसूल ली गयी है। हालांकि, खादी संस्थाओं में इस बात को लेकर घोर असंतोष है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.71 करोड़ से अधिक की वसूली की गयी थी। इससे पहले के वित्तीय वर्ष 2021-22, 2020-21, 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2028-19 में कुल मिलाकर करीब एक करोड़ की वसूली हो सकी थी।

(साभार : प्रभात खबर, 28.9.2023)

27 प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी जिलों में भेजने के लिए वन विभाग से परमिट जरूरी नहीं

27 के अलावे सागवान, बरगद, पीपल सहित अन्य वृक्षों को जिला के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुखिया और राज्य भर के लिए डीएफओ से लेना पड़ेगा परमिट

निजी जमीन पर उगाए जाने वाले वृक्षों की लकड़ी को दूसरे जिलों में भेजने के लिए जो नियम है, उस नियम में लोगों को छूट दी गई है। लोग आसानी से निजी जमीन पर उगाए वृक्षों से प्राप्त लकड़ी को राज्य के किसी भी जिले में भेज सकते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जारी निर्देश में निजी जमीन पर आम, गम्हार, अशोक, नीम, बांस ताड़, बबूल सहित 27 प्रजाति के वृक्षों से प्राप्त लकड़ियों को राज्य के किसी भी जिले में भेजने के लिए विभाग से परिवहन परमिट नहीं लेना पड़ेगा। रेंजर या डीएफओ वैसे वृक्षों के लकड़ियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में स्थित डीएफओ की सूचना दी गई है। जबकि पहले बिना डीएफओ के अनुमति के दूसरे जगहों पर ले जाते पकड़े जाने पर स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के तहत न्यूनतम 1000 रुपया लगता था। इसके बाद कुल लकड़ी के वैल्यू अनुसार जुर्माना भरना पड़ता था। अधिक जानकारी के लिए 0612-2226911 पर कॉल कर सकते हैं।

निजी जमीन की लकड़ी के लिए नियम : निजी जमीन पर उगाए गए 27 प्रजाति के वृक्षों के अलावे सगवान बरगद, पीपल सहित अन्य वृक्षों को जिला के अंदर में भेजने के लिए मुखिया के द्वारा परिवहन परमिट दिया जाएगा वहीं राज्य भर के किसी भी जिले में लकड़ियों को ले जाने के लिए डीएफओ से परिवहन परमिट लेना पड़ेगा। यह नियम सिर्फ निजी जमीन पर उगाए गए वृक्षों की लकड़ियों के लिए है।

"लोगो को परिवहन परमिट के लिए डीएफओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निजी जमीन पर 27 प्रजाति के वृक्षों से प्राप्त लकड़ी को बिना परमिट के किसी भी जिले में भेज सकते हैं।"

– गोपाल सिंह, आरसीसीएफ, पटना

परिवहन परमिट से मुक्त किए गए वृक्ष : आम, अशोक, बांस, ताड़, सेमल, गुलमोहर, पॉपुलर की सभी प्रजातियों, यूकेलिप्टस की सभी प्रजातियाँ लीची, खजूर, कदंब, इजरायली बबूल, बिलायती बबूल, गुलमोहर, बेर, अमरूद, मीठी नीम, जेकरंडा, सुबबूल, शहतूत, कैसूरिना, सिल्वर ओक, पाम, नींबू, संतरा, मौशमी, पेल्टाफोरम, रबर, रिमझा या सफेद बबूल और पेल्टाफोरस के वृक्षों से प्राप्त लकड़ियों को राज्य के किसी भी जिले में ले जाने के लिए छूट दी गई है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 28.9.2023)

कर लें तैयारी, एक अक्टूबर से बदलने वाले हैं कई नियम

हर महीन की पहली तारीख से कई बदलाव होते हैं। ये बदलाव आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालते हैं। सितम्बर का महीना भी अब खत्म होने वाला है और एक अक्टूबर से कई तरह के बदलाव लागू होने वाले हैं।

जानते हैं इन प्रमुख बदलावों को :-

1. जन्म प्रमाण-पत्र होगा हिजिटल
2. रु 2000 के नोट होंगे बंद
3. रसोई गैस की कीमत में हो सकता है बदलाव
4. विदेश जाना होगा महंगा
5. छोटी बचत योजनाओं को आधार व पैन से कराएँ लिंक
6. व्यक्तिगत पहचान पत्र पर ढेर सारे सिम नहीं ले सकेंगे
7. ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% जीएसटी

(विस्तृत : प्रभात खबर, 28.9.2023)

69 अनूसूचित नियोजनों की 01.10.2023 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक 01.09.2022 + 01.10.2022 + 01.04.2023 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.10.2023 से प्रभावी होगी	01.10.2023 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	366.00 + 7.00 + 15.00 = 388.00	7.00	395.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00 + 8.00 + 15.00 = 403.00	8.00	411.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00 + 9.00 + 19.00 = 491.00	9.00	500.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00 + 11.00 + 23.00 = 600.00	11.00	611.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	10478.00 + 210.00 + 419.00 = 11107.00	210.00	11317.00 प्रतिमाह

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296